

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 965  
जिसका उत्तर मंगलवार 24 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**एफएएमई इंडिया योजना**

**965. डॉ पी वेणुगोपाल:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार पर्यावरण हितैषी ऑटो मोबाइल प्रौद्योगिकियों को त्वरित रूप से अपनाने हेतु फेम इंडिया योजना को और अधिक सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि वाहन लंबाई आधारित वर्गीकरण वाहन संबंधी भीड़-भाड़ में कमी करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन आधारित वर्गीकरण हरित परिवहन व्यवस्था और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के समग्र दृष्टिकोण के साथ संरेखित होगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री  
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

**(क) और (ख):** फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इस स्कीम के चरण-1 में प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर स्कीम की उचित रूप से समीक्षा की जाएगी, जो मूल रूप से दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से दो वर्ष की अवधि के लिए थी। तथापि, स्कीम के चरण-1 को दिनांक 30 सितंबर, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। फेम-II स्कीम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

**(ग) और (घ):** भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने क्रमशः वाहन संबंधी भीड़ और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर कार्बन डाइऑक्साइड आधारित वर्गीकरण और वाहन की लंबाई पर आधारित वर्गीकरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन आरंभ नहीं किया है।

\*\*\*\*\*